(P)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.25(1)चिस्वा/2/175/2013 दिनांकः 01.10.2013

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषयः– बजट घोषणा वर्ष 2013–14 के बिन्दु संख्या 65.2.0 के अनुसरण में 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्रम मे स्वीकृति दिनांक 12.9.2013 में आंशिक संशोधन बाबत्।

संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 31.03.2013, 30.05.2013, 08.06.2013, 17.06.2013, 08.07.2013, 09.07.2013, 29.07.2013, 01.08.2013, 18.08.2013, 30.08.2013, 09.09.2013, 10.09.2013, 12.9.2013, 16.09.2013, 20.09.2013, 23.09.2013 एवं 25.09.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की संदर्भित स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2013–14 के बिन्दु संख्या 65.2.0 के अनुसरण में 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः निर्देशानुसार लेख है कि उक्त संदर्भित स्वीकृति के क्रम में निम्न 01 (एक) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क.सं	खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पंचायत समिति का नाम	जिला	क्षेत्र विवरण	बजट मद
1	तलाई चौराहा रामगढ (चांग)	रायपुर	पाली	GENERAL	2210–03–197–(01)–[01] सामान्य क्षेत्र

नार्म्स की पालना सुनिश्चित कर ली जावे।

शेष 05 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव मा0 राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज0 जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1/बजट) विभाग।
7. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3/5) विभाग ।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (वित्त) विभाग।
9. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली
13. प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति विभाग की वेबसाईट पर उपलोड करना सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली/एकल पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।

सहायक लेखाधिकारी